

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क 256/2011  
संस्थित दिनांक- 08.07.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चन्देरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

1. वीरन पुत्र बल्ला आदिवासी उम्र 51 साल
  2. चउआ पुत्र बल्ला आदिवासी उम्र 41 साल
  3. हल्के पुत्र मंगला आदिवासी उम्र 71 साल
  4. केर सिंह पुत्र हल्के आदिवासी उम्र 31 साल
- निवासीगण ग्राम हलनपुर जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

**—: निर्णय :—**

**(आज दिनांक 11.05.2018 को घोषित)**

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-452, 325/34, 324/34, 506 भाग-2 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक-21.05.2011 को रात्रि 08:00 बजे फरियादी हरिसिंह के मकान ग्राम हलनपुर में फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से रात्रि के समय फरियादी के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य के अग्रसरण में फरियादी को लाठी व डंडों से मारपीट कर उसका अस्थि भंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की एवं धारदार किसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-21.05.2011 को रात आठ बजे हरि सिंह और सन्तोष मकान पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, कि संतोष कह रहा था, कि तू अपनी जमीन को गांव में किसी आदमी को मत बेचना, यह सुनकर वीरन कुल्हाड़ी लेकर, चउआ लोहे की छड लेकर, हल्के लाठी लेकर तथा केर सिंह लाठी लेकर फरियादी के घर में घुसकर हरिसिंह को चारों लोग मादरचोद बहनचोद की बुरी-बुरी गालियां देने लगे और बोले कि मादरचोद हरिसिंह ही अपने को जमीन नहीं लेने देगा और चारों ने हरिसिंह की मारपीट की। वीरन ने एक कुल्हाड़ी हरिसिंह के कंधे में मारी जो फरियादी के सिर में पीछे की ओर लगी, चोट होकर खून निकल आया तथा चउआ ने लोहे की छड मारी जो हरिसिंह

के दाहिने पैर में लगी दो खून निकल आया। केर सिंह ने लट्ठ मारा जो हरिसिंह के बाये पैर में घुटने के उपर लगा, चोट आई तथा हल्के ने हरिसिंह के लट्ठ मारे जो बाई भुजा तथा बाये कंधे में लगा मुंदी चोट आई और चारों हरि सिंह को मादरचोद ओर बहनचोद की गालियां देकर रास्ते से मकान तक खरोचते लाये तथा सुमित्रा, सन्तोष व पूरन ने बचाया और घटना देखी, जाते-जाते कह गये कि मादरचोद आज तो बच गया आईदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी हरिसिंह द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-243/2011 अंतर्गत धारा-452, 294, 324, 323, 506 बी,34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

|    |  |
|----|--|
| 1. | क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.05.2011 को रात्रि 08:00 बजे फरियादी हरिसिंह के मकान ग्राम हलनपुर में फरियादी हरिसिंह को उपहति कारित करने के की तैयारी कर व उस आशय से रात्रि के समय फरियादी के घर में प्रवेश कर आपराधिक गृहअतिचार कारित किया ? |
| 2. | क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हरिसिंह को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य के अग्रसरण में फरियादी हरिसिंह को लाठी डंडों से मारपीट कर उसको अस्थि भंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ? |
| 3. | क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हरिसिंह को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य के अग्रसरण में फरियादी हरिसिंह को धारवस्तु किसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?                    |

|    |  |
|----|--|
| 4. | क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी हरिसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ? |
| 5. | दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?   |

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02, 03, 04 व 05 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 06—फरियादी हरि सिंह आदिवासी (अ0सा0-9) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि करीब सात साल पहले रात्रि 09:00 बजे लगभग वह अपने चाचा भोला के यहां हलनपुर गया था, जहां अभियुक्तगण लट्ठ लेकर आये थे, और उसके साथ मारपीट की थी। हरिसिंह (अ0सा0-9) ने अपने मुख्य परीक्षण में ही घटना घटित होने के कारण को स्पष्ट करते हुये कथन दिये हैं कि सन्तोष यह कह रहा था कि अपनी जगह मत बेचों, तो आरोपीगण को जैसे ही इस बात के बारे में पता चला, तो उन्होंने आकर उसके साथ मारपीट कर दी थी। सन्तोष (अ0सा0-1) हरि सिंह (अ0सा0-9) के चाचा भोला का लडका है, यह स्वयं हरि सिंह (अ0सा0-9) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में स्पष्ट किया है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में घटना घटित होने का स्थान स्पष्ट करते हुये फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) का कहना है कि आंगन के चारों ओर बागड है, और उसी आंगन में सन्तोष और वह बैठे थे, जहां आकर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी।
- 07—अतः फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) के अनुसार घटना दिनांक को रात्रि लगभग 09:00 बजे वह अपने चाचा भोला के घर पर था, जहां वह अपने चाचा के लडके सन्तोष (अ0सा0-1) के साथ घर के बाहर आंगन में ही बैठकर जमीन न बेचने के संबंध में सतोष (अ0सा0-1) से बात कर रहा था, तो आरोपीगण ने लाठी डण्डों से लेश होकर उसके चाचा के घर के आंगन में ही आकर उसके साथ मारपीट कर दी थी। सन्तोष (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 में उल्लेखित घटना से होती है तथा उपरोक्त दिये गये कथनों में फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) के संपूर्ण न्यायालीय कथनों में लेशमात्र भी विरोधाभास नहीं है। अतः इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि प्रदर्श पी-14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से होती है तथा दिये गये उपरोक्त कथन उसके संपूर्ण परीक्षण में अकाट्य व अखण्डित है।

- 08—हरि सिंह (अ0सा0-9) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में यह स्पष्ट किया है कि वह पहले ग्राम हलनपुर में ही रहता था तथा झगड़े से दो साल पहले ग्राम बिजराबन चला गया था, अतः स्पष्ट है कि अभियोजन घटना जिस गांव की है, उस गांव का हरि सिंह (अ0सा0-9) घटना के समय हाल निवासी नहीं था। बचाव पक्ष की फरियादी सहित लगभग सभी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा रही है कि अभियुक्त वीरन की पत्नी को हरि सिंह (अ0सा0-9) अपने साथ ले गया था और वह उसी के साथ निवास करती है, इस कारण फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) व अभियुक्त वीरन के मध्य रंजिश है। इस बात को स्वयं हरि सिंह (अ0सा0-9) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है तथा अभियोजन भी इस बात को स्वीकार करता है।
- 09—अतः प्रकरण में इस संबंध में कोई विवाद नहीं है फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) अभियुक्त वीरन की पत्नी को लेकर उसके साथ रहने लगा था, इस कारण अभियुक्त और फरियादी के मध्य पूर्व ही से रंजिश थीं। हरि सिंह (अ0सा0-9) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में ही यह स्वीकार किया है कि इसी कारण से वह गांव में नहीं आता था, क्योंकि यदि वह गांव में आता, तो लड़ाई हो जाती। फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन निश्चित रूप से घटना-घटित होने का एक कारण को दर्शित करता है। हरि सिंह (अ0सा0-9) ने इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक को वह सन्तोष (अ0सा0-1) के घर के आंगन में रात्रि लगभग 09:00 बजे के समय बैठा था और उनके मध्य जमीन न बेचने की बात हो रही थी, तो इसी बात को सुनकर आरोपीगण ने आंगन में घुसकर लाठियों से उसके साथ मारपीट कर दी थी जिससे उसके सिर में और पैर में चोटें आई थी।
- 10—हरि सिंह (अ0सा0-9) ने अपने न्यायालीन कथनों में ही घटना के समय पूरन (अ0सा0-2), रामचरण (अ0सा0-3) का आ जाना बताया है, तथा साथ ही इस साक्षी का यह भी कहना है कि मौके पर सन्तोष (अ0सा0-1) व सुमित्रा (अ0सा0-4) ने बीच बचाव किया था। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) के चचेरे भाई सन्तोष (अ0सा0-1) उसकी बहन सुमित्रा बाई (अ0सा0-4), पूरन (अ0सा0-2), फरियादी के जीजा रामचरण (अ0सा0-3) एवं विक्रम (अ0सा0-5) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। सन्तोष (अ0सा0-1) जो कि फरियादी के अनुसार घटना के समय मौके पर था, तथा जब आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की, तो उक्त स्थान सन्तोष (अ0सा0-1) का आंगन ही था और उस आंगन में वह सन्तोष (अ0सा0-1) के साथ बैठकर ही बातचीत कर रहा था, जब आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी।
- 11—सन्तोष (अ0सा0-1) ने फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों का समर्थन न करते हुये अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के होने के बाद भी अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि उसे यह तो जानकारी है कि तीन साल पहले हरि सिंह (अ0सा0-9) की किसी ने मारपीट की थी,

परन्तु मारपीट किसने की थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा उसके सामने हरि सिंह (अ0सा0-9) की कोई मारपीट नहीं हुई थी। सुमित्रा बाई (अ0सा0-4) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी के कथनों का समर्थन न करते हुये व्यक्त किया है कि उसके कथन देने के दिनांक से कई साल पहले फरियादी मरा कुटा गली के खरंजा पर पड़ा था, जिसे वह उसका पति रामचरण उठा कर लाये थे। इस साक्षी का यह कहना है कि उसे पता नहीं है कि हरि सिंह (अ0सा0-9) के साथ किसने मारपीट की थी।

12-रामचरण (अ0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि उसे भी घटना की कोई जानकारी नहीं है, उसके सामने कोई घटना नहीं हुई, परन्तु अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के बाद किये गये परीक्षण में इस साक्षी ने इस संबंध में सुमित्राबाई (अ0सा0-4) के कथनों की पुष्टि की है कि जब वह मजदूरी करके वापस आया था, तो उसने हरि सिंह (अ0सा0-9) को गांव में पड़ा देखा था, और वह उसे उठाकर लाया था तथा इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह और विक्रम सिंह, हरि सिंह (अ0सा0-9) को थाने पर ले गये थे। रामचरण (अ0सा0-3) अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होकर सुमित्रा बाई (अ0सा0-4) के द्वारा उसे बताई गई घटना के आधार पर घटना का अनुश्रुत साक्षी था, परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में इस बात का पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है कि सुमित्रा बाई (अ0सा0-4) ने उसे घटना के बारे में बताया है।

13-घटना के अन्य साक्षी पूरन आदिवासी (अ0सा0-2) व विक्रम (अ0सा0-5) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है एवं अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताया है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी सन्तोष (अ0सा0-1) पूरन (अ0सा0-2) रामचरण (अ0सा0-3) सुमित्रा बाई (अ0सा0-4) व विक्रम (अ0सा0-5) को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु अभियोजन के द्वारा किये गये परीक्षण में इनमें से किसी भी साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि उन्होंने अभियुक्तगण को हथियारों से लेश होकर सन्तोष (अ0सा0-1) के आंगन में घुसकर फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) की मारपीट करते हुये देखा था। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध में सीधे तौर पर कोई कथन न देने से इन साक्षियों के कथनों से अभियोजन को इस संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है कि वास्तव में इनमें से किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण को सन्तोष (अ0सा0-1) के मकान में घुसकर फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) के साथ मारपीट कर घटना कारित करते हुये देखा था।

14-यहां यह उल्लेखनीय है कि विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने के बाद भी उनकी उतनी साक्ष्य जितनी की अभियोजन का समर्थन करती हो, को देखा जा सकता है, मात्र साक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने के कारण उनकी सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। इस संबंध में भले ही पूरन (अ0सा0-2), विक्रम

(अ0सा0-5) ने भले ही अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये है, परन्तु सन्तोष (अ0सा0-1), रामचरण (अ0सा0-3), सुमित्राबाई (अ0सा0-4) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कुछ कथन निश्चित रूप से फरियादी की घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित करते हैं।

15-सन्तोष (अ0सा0-1) ने भले ही अभियोजन के समर्थन में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये है परन्तु इस साक्षी ने अपने कथनों में उसके कथन देने के दिनांक से तीन साल पहले हरि सिंह (अ0सा0-9) के साथ किसी ने मारपीट कर दी थी, इसकी पुष्टि की हैं। रामचरण (अ0सा0-3) व सुमित्राबाई (अ0सा0-4) ने भी भले ही अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये है, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने कथनों में ग्राम हलनपुर में घटना दिनांक को फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) की उपस्थिति को प्रमाणित किया है तथा साथ ही इन साक्षियों ने अपने कथनों में इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्होंने ने घटना दिनांक को रात्रि के समय हरि सिंह (अ0सा0-9) को घायल अवस्था में ग्राम हलनपुर में देखा था, जिसे उठाकर वहीं लोग लाये थे।

16-घटना दिनांक की रात्रि को हरि सिंह (अ0सा0-9) ग्राम हलनपुर में सन्तोष (अ0सा0-1) के घर आया था, इस बात की पुष्टि सुमित्रा (अ0सा0-4) व रामचरण (अ0सा0-3) के कथनों से होती है तथा इन दोनों ही साक्षियों के कथनों से फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) के द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि होती है घटना में उसके साथ मारपीट हुई थी, जिसमें वह घायल हुआ था और घायल अवस्था में ही सुमित्रा बाई (अ0सा0-4) रामचरण (अ0सा0-3) ने उसे गाम हलनपुर में देखने की पुष्टि की है तथा रामचरण (अ0सा0-3) के द्वारा उसे थाने पर भी पहुंचाया गया।

17-फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) ने भले ही अपने न्यायालीन कथनों में इस संबंध में विरोधाभासी कथन अवश्य दिये है कि कौन सा अभियुक्त कौन सा हथियार लिये था तथा किस अभियुक्त के द्वारा किस हथियार के प्रहार से उसे कहां चोट आई थी। इस संबंध में यह उल्लेखित है कि फरियादी के कथन घटना के लगभग सात वर्ष न्यायालय में हुये है, एक व्यक्ति के साथ अचानक यदि चार लोगों के द्वारा हथियारों से लेश होकर मारपीट की जावे, तो सामान्यतः व्यक्ति पहले स्वयं बचने का प्रयास करता है, न कि यह देखने का कौन सा व्यक्ति कौन सा हथियार लिये है और कहा मार रहा हैं। घटना के सात वर्ष के बाद हरिसिंह (अ0सा0-9) से यह अपेक्षा नहीं हो सकती है कि वह यह बता सके कि किस अभियुक्त के किस हथियार के प्रहार से उसे कहा चोट आई थी।

18-हरि सिंह (अ0सा0-9) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसके सिर में और पैर में चोट आई थी, जिससे वह बेहोश हो गया था तथा उसके दाहिने पैर की पिडली में भी चोट आई थी। घटना दिनांक को ही डॉक्टर अजय सिंह (अ0सा0-7) के द्वारा फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-9) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर अजय सिंह

(अ0सा0-7) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि फरियादी के सिर में एक फटा हुआ घाव तथा दाहिने पैर में आगे की तरफ हड्डी की गहराई तक फटी हुई चोट तथा दाहिने पैर के मध्य भाग में आगे की तरफ खरोंज एवं बाये घुटने के आगे नीलगू निशान की चोट पाई थी, जो कि उसके परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी तथा बायें पैर की घुटने की चोट को छोड़कर शेष चोटों को एक्स-रे की सलाह उनके द्वारा दी गई थी।

19-रेडियोलोजिस्ट डॉक्टर एस. एस. छारी (अ0सा0-8) ने दिनांक 23.05.2011 को फरियादी हरिसिंह (अ0सा0-9) के सिर एवं दाये पैर का एक्स-रे परीक्षण करने एवं उक्त एक्स-रे परीक्षण में दाये पैर की टिबिया हड्डी की ऊपरी हिस्से पर अस्थि भंग पाये जाने की पुष्टि की है। डॉक्टर अजय सिंह (अ0सा0-7) व डॉक्टर एस. एस. छारी (अ0सा0-9) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन की पुष्टि परीक्षण के दौरान उनके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी-12 व 13 से होती है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है।

20-हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति तेज गति से दौड़ता हुआ जा रहा हो और सख्त धरातल पर गिरे, तो ऐसी चोट आना सम्भव है, जिस पर डॉक्टर एस. एस. छारी (अ0सा0-8) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में सहमति दी गई हैं। बचाव पक्ष के द्वारा इस संबंध में भी सुझाव दिया गया है कि 10-15 फीट की दूरी से छत से कोई व्यक्ति गिरे तो इस प्रकार की चोट आना संभव है जिस पर डॉक्टर एस. एस. छारी (अ0सा0-8) के द्वारा सहमति दी गई। निश्चित रूप से फरियादी को आई चोटें इस तरह की घटना से आना संभव है, परन्तु यह समझ से परे है कि ग्राम हलनपुर में फरियादी कहा दौड़ रहा था या किस छत से गिरा था और वह ऐसी घटना में यदि चोट उसे आई थी, तो वह पहले अपना ईलाज न कराकर थाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट क्यों करेगा, जबकि रंजिश के जो कारण बचाव पक्ष के द्वारा दर्शाये गये हैं, उसके अनुसार तो अभियुक्तगण को फरियादी की रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अतः ऐसे में ली गई प्रतिरक्षा का कोई आधारहीन है।

21-बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क के दौरान इस आधार पर बचाव प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में अभियुक्तगण से हथियार बरामद नहीं हुये है, इसलिए उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तथा इस संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत चरणा उर्फ रामचरण व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2017 (II) M.P.W.N. 96 में प्रतिपादित की गई विधि का आबलवन लिया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य से हथियारों का संबंध में स्थापित न होने पर एवं जप्ती न होने से अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया था। निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ता अधिकारी दशरथ सिंह (अ0सा0-6) ने प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण से कोई हथियार जप्त नहीं किये है तथा मकान तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-11 तैयार कर प्रकरण में प्रस्तुत किया है, पर मात्र प्रकरण में हथियारों की जप्ती न

होने के आधार पर घटना के संबंध में अभिलेख पर आई मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

22—जहां तक बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आबलंवन लिये गये न्यायदृष्टांत का प्रश्न है उक्त न्यायदृष्टांत की परिस्थितियां वर्तमान में प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न है, क्योंकि उक्त प्रकरण में F.I.R. भी विलंब से की गई थी, वही F.S.L. रिपोर्ट से भी खून का मिलान नहीं हुआ था। वहीं मौखिक साक्ष्य से घटना में प्रयुक्त हथियार का संबंध स्थापित नहीं किया गया हैं। वर्तमान प्रकरण में स्वयं आहत हरि सिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से मौखिक साक्ष्य से ही घटना को प्रमाणित किया गया है वहीं चिकित्सीय साक्ष्य से भी घटना में उसे आई चोटों की पुष्टि होती है वही अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी फरियादी के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। अतः उक्त कारण से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

23—यहां माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय न्यायदृष्टांत Ramjeevan vs State of M.P. ccr 819/06 Order Dated 20-10-2017, Veera@ Bheera vs State of M.P. cra 1106/16 order dated 03-04-2017, Juned Khan State of M.P. M.C.R.C. 21427/17 Order Dated 05-12-2017, के उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट अभिमत दिया है कि यदि अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य विश्वसनीय है और उससे घटना प्रमाणित होती है, तो मात्र घटना में प्रयुक्त हथियारों की जप्ती न होना अभियुक्तगण को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

24—हरि सिंह (अ0सा0—9) ने इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि ग्राम हलनपुर में सन्तोष (अ0सा0—1) के घर में रात्रि में आंगन में जब वह बैठकर संतोष (अ0सा0—1) के साथ जमीन संबंधी बात कर रहा था, तो इसी बात पर अभियुक्तगण ने आंगन में हथियारों से लेश होकर उसके साथ मारपीट की थी, जिसमें उसे सिर और पैर में चोट आई थीं। फरियादी को घायल अवस्था में ही हलनपुर में रामचरण (अ0सा0—3) व सुमित्रा बाई (अ0सा0—4) के द्वारा देखा गया था, जो फरियादी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों को और बल प्रदान करता है कि तथा चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को फरियादी हरि सिंह (अ0सा0—9) को चिकित्सीय परीक्षण में जो चोटें पाई गई वह निश्चित रूप से अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के साथ की गई मारपीट का परिणाम थी।

25—जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की धमकी देकर फरियादी को संत्रास कारित करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में स्वयं फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं। फरियादी के द्वारा भी पक्षविरोधी होने के बाद किये गये परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण ने उससे कहा था कि आज तो बच गया, आईदा जान से खत्म कर देंगे, परन्तु उक्त कथन मात्र से जो कि पक्ष विरोधी घोषित हो जाने के बाद दिये गये हैं, से यह निष्कर्ष नहीं



निकाला जा सकता है कि वास्तव में अभियुक्तगण ने वास्तव में संत्रास कारित करने के आशय से कोई धमकी दी थी, धमकी क्यों दी किस कार्य को करने या न करने को दी, यह कहीं भी कथनों से स्पष्ट नहीं होता है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी।

26— घटना स्थल पर फरियादी हरिसिंह (अ0सा0-9) के कथन के अनुसार चारों अभियुक्तगण एक राय होकर हथियारों सहित उपस्थित हुये थे और आंगन में घुसकर उनके द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उपहति कारित की थी, अभियुक्तगण का एक राय होकर घटना स्थल पर आना और घटना के बाद जाना, यह दर्शित करता है कि अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व से ही फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर लिया था, जिसके अग्रसरण में फरियादी को उपहति कारित की गई, निश्चित रूप से प्रकरण में धारदार हथियारों की जप्ती नहीं हुई है और न ही ऐसे कोई हथियारों की चोट चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी को आई है, परन्तु फरियादी को घटना में अभियुक्तगण की मारपीट से अस्थि भंग कारित हुआ है, जो कि गंभीर प्रकृति की चोट होकर बड़ी उपहति है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध भले ही पृथक से भा.द.वि. की धारा 324 के आरोप प्रमाणित न होते हो, पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 325 के आरोप प्रमाणित होते हैं।

27— किसी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना होता है वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक-21.05.2011 को रात्रि 08:00 बजे सन्तोष के मकान ग्राम हलनपुर में हरि सिंह (अ0सा0-9) को उपहति कारित करने के आशय से रात्रि के समय प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर हरिसिंह (अ0सा0-9) को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य के अग्रसरण में फरियादी को लाठी डंडों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि फरियादी को किसी धारदार हथियार से कोई उपहति कारित की गई है एवं अभियुक्तगण ने संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

28— फलतः अभियुक्तगण वीरन पुत्र बल्ला आदिवासी, चउआ पुत्र बल्ला आदिवासी, हल्के पुत्र मंगला आदिवासी, केर सिंह पुत्र हल्के आदिवासी को भा0द0वि0 की 324/34 के स्थान पर भा.द.वि. की धारा 452, 325/34 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 452, 325/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण वीरन पुत्र बल्ला आदिवासी, चउआ पुत्र बल्ला आदिवासी, हल्के पुत्र मंगला आदिवासी, केर सिंह पुत्र हल्के आदिवासी को भा0द0वि0 की धारा 324/34 506 भाग-02 के आरोप साबित न होने से उन्हें भा0द0वि0

की धारा 324/34, 506 भाग-02 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

29-अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

30-दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुये हैं, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी हरिसिंह के साथ घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने का अपराध किया गया है, जो यह दर्शित करता है कि अभियुक्तगण को कानून का कोई भय नहीं है। अतः प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है।

31- अतः उपरोक्त परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण वीरन पुत्र बल्ला आदिवासी, चउआ पुत्र बल्ला आदिवासी, हल्के पुत्र मंगला आदिवासी, केर सिंह पुत्र हल्के आदिवासी को भा0दं0वि0 की धारा 452 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 01 वर्ष ( एक वर्ष ) के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये ( पांच रुपये ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस ( सात दिवस ) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण वीरन पुत्र बल्ला आदिवासी, चउआ पुत्र बल्ला आदिवासी, हल्के पुत्र मंगला आदिवासी, केर सिंह पुत्र हल्के आदिवासी को भा0दं0वि0 की धारा 325/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को 01 वर्ष ( एक वर्ष ) के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये ( पांच सौ रुपये ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस ( सात दिवस ) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे। उपरोक्त सभी सजायें अभियुक्तगण को एक साथ भुगताई जावें।

32- अभियुक्तगण के द्वारा जमा की गई अर्थदण्ड राशि में से तीन हजार रुपये द0प्र0स0

की धारा 357 (3) के तहत प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि के पश्चात् फरियादी हरि सिंह को अदा किये जाये अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)